

## कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

### संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह नवम्बर, 2023

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) एवं 410 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ० लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है कि माह नवम्बर 2023 के दिनांक 19.11.23 व 25.11.23 से 27.11.23 राजकीय अवकाश के लिए पूर्व में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 427(mail), दिनांक 02.11.2023 के द्वारा जेसी/पीसी रिमांड/प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य संपादित करने के लिए श्री सीताराम चौधरी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर को उक्त ड्यूटी हेतु आदेशित किया गया था। किंतु श्री सीताराम चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनके मुख्यालय से बाहर रहने को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व के रिमांड ड्यूटी आदेश में आवश्यक कारणवश निम्नानुसार संशोधन किया जाकर संशोधित कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। साथ ही पूर्व के कार्यालय आदेश क्रमांक-427(mail), दिनांक 02.11.2023 में लगायी गयी अधिकारीगण के राजकीय अवकाश की रिमाण्ड ड्यूटी यथावत रहेगी।

### जैसलमेर मुख्यालय हेतु-

दिनांक	न्यायालय का नाम
19.11.2023	रिछपाल सिंह गिला
25.11.2023	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट,
26.11.2023	जैसलमेर
27.11.2023	

### नोट :-

1. माह नवम्बर, 2023 के अन्य अवकाशों के दिन में आवश्यक मामलों में उचित आदेश संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक अधिकारी अथवा निकट के किसी न्यायिक अधिकारी के आवास से प्राप्त किए जा सकेंगे।
2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारीगण के पास वीडियो कान्फ्रेंसिंग से भी रिमाण्ड दिये जाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा जो संबंधित न्यायिक अधिकारी के विवेकाधीन होगा और यह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय / माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर द्वारा इस संबंध में पारित आगामी आदेशों के अधीन रहेगा।
3. मुख्यालय पर अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः 11.00 एएम से 2.00 पीएम बजे तक रहेगा।
4. पीठासीन अधिकारी के नियत रिमाण्ड दिवस पर मुख्यालय से बाहर रहने अथवा अवकाश पर रहने की अवस्था में वे अपने लिंक अधिकारी को सूचित करते हुए उनके स्थान पर लिंक अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की सहमति प्राप्त कर उसका प्रार्थना पत्र में अंकन करते हुए सूचना इस कार्यालय को भिजवाएंगे, जो श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर के आदेश के अध्याधीन रहेगा।
6. विशेष परिस्थितियों में मुल्जिम को निवास पर पेश करते समय निवास स्थान में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे तथा संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही करें।
7. तारांकित (\*) अवकाश यदि कोई हो, तो उसके परिवर्तित होने की स्थिति में अधिकृत अधिकारी ही परिवर्तित अवकाश की तिथि को रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जैसलमेर


क्रमांक: 440(mail)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है -

दिनांक: 18/11/2023

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर।

2. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।
3. जिला आबकारी अधिकारी, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि जिले में कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/प्रभारी अधिकारी आबकारी थाना को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।
4. डॉ श्री अजय विश्वाई, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।
5. श्री सीताराम चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
6. श्री रिछपालसिंह, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
7. श्री किशन सांदू, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय पोकरण।
8. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।
9. न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
10. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
11. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय पोकरण।
12. सहायक निदेशक अभियोजन, जैसलमेर।
13. पुलिस कंट्रोल रूम, जैसलमेर।
14. अध्यक्ष अभिभाषक परिषद, जैसलमेर।
15. उपकारागृह, जैसलमेर।
16. प्रभारी अधिकारी वायरलेस, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि इस मैसेज को सभी आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।
17. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की बेबसाइट पर अपलोड करें।
18. कार्यालय प्रति।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जैसलमेर

## कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह नवम्बर, 2023

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) एवं 410 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ० लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है कि माह नवम्बर, 2023 में पारित रिमाण्ड आदेश में आवश्यक कारणवश संशोधन किया जाकर निम्नलिखित सूचियों के कॉलम नंबर-1 में अंकित राजकीय अवकाशों के दिन जैसलमेर जिला न्यायक्षेत्र के पोकरण मुख्यालय जिनका नाम सूचियों के ऊपर अंकित किया हुआ है, के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों की सुनवाई, जिनमें जमानत, रिमाण्ड, ड्यूटी, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे, ऐसे प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। साथ ही पूर्व के कार्यालय आदेश क्रमांक-427(mail), दिनांक 02.11.2023 में लगायी गयी अधिकारीगण के राजकीय अवकाश की रिमाण्ड ड्यूटी यथावत रहेगी।

पोकरण मुख्यालय हेतु-

दिनांक	न्यायालय का नाम	लिक न्यायालय का नाम
10.11.2023 11.11.2023 12.11.2023	डॉ० अजय विश्वाई, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण	किशन सांदू, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकडा, मुख्यालय पोकरण
13.11.2023 14.11.2023 15.11.2023	किशन सांदू, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकडा, मुख्यालय पोकरण	डॉ० अजय विश्वाई, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण

नोट :-

1. माह नवम्बर, 2023 के अन्य अवकाशों के दिन में आवश्यक मामलों में उचित आदेश संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक अधिकारी अथवा निकट के किसी न्यायिक अधिकारी के आवास से प्राप्त किए जा सकेंगे।
2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारीगण के पास वीडियो कान्फ्रेंसिंग से भी रिमाण्ड दिये जाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा जो संबंधित न्यायिक अधिकारी के विवेकाधीन होगा और यह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय / माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर द्वारा इस संबंध में पारित आगामी आदेशों के अधीन रहेगा।
3. मुख्यालय पर अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः 11.00 एएम से 2.00 पीएम बजे तक रहेगा।
4. उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई अवकाश घोषित हो जाने पर पोकरण जिला मुख्यालय के लिये घोषित अवकाश के दिन न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सांकडा, पोकरण उक्त कार्य देखेंगे। इसके लिये कोई पृथक आदेश नहीं पारित किया जावेगा, संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी इसका विशेष ध्यान रखें। जिस अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी नियत की गई है, वह जिस मुख्यालय पर पदस्थापित है, वहीं रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित करेंगे।
5. पीठासीन अधिकारी के नियत रिमाण्ड दिवस पर मुख्यालय से बाहर रहने अथवा अवकाश पर रहने की अवस्था में वे अपने लिक अधिकारी को सूचित करते हुए उनके स्थान पर लिक अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की सहमति प्राप्त कर उसका प्रार्थना पत्र में अंकन करते हुए सूचना इस कार्यालय को भिजवाएंगे, जो श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर के आदेश के अध्याधीन रहेगा।
6. विशेष परिस्थितियों में मुल्जिम को निवास पर पेश करते समय निवास स्थान में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे तथा संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही करें।
7. तारांकित (\*) अवकाश यदि कोई हो, तो उसके परिवर्तित होने की स्थिति में अधिकृत अधिकारी ही परिवर्तित अवकाश की तिथि को रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जैसलमेर

क्रमांक: 434(mail)

दिनांक: 08/11/2023

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर।
2. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।
3. जिला आबकारी अधिकारी, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि जिले में कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/प्रभारी अधिकारी आबकारी थाना को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।
4. डॉ श्री अजय विश्वा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।
5. श्री सीताराम चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
6. श्री रिछपालसिंह, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
7. श्री किशन सांदू, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय पोकरण।
8. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।
9. न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
10. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
11. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय पोकरण।
12. सहायक निदेशक अभियोजन, जैसलमेर।
13. पुलिस कंट्रोल रूम, जैसलमेर।
14. अध्यक्ष अभिभाषक परिषद, जैसलमेर।
15. उपकारागृह, जैसलमेर।
16. प्रभारी अधिकारी वायरलेस, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि इस मैसेज को सभी आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।
17. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की बेबसाइट पर अपलोड करें।
18. कार्यालय प्रति।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जैसलमेर

# कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह नवम्बर, 2023

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) एवं 410 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ० लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है कि माह नवम्बर, 2023 में निम्नलिखित सूचियों के कॉलम नंबर-1 में अंकित राजकीय अवकाशों के दिन जैसलमेर जिला न्यायक्षेत्र के वे मुख्यालय जिनका नाम सूचियों के ऊपर अंकित किया हुआ है, के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों की सुनवाई, जिनमें जमानत, रिमाण्ड, ड्यूटी, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे, ऐसे प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।

## जैसलमेर मुख्यालय हेतु-

दिनांक	न्यायालय का नाम	लिंक न्यायालय का नाम
05.11.2023 19.11.2023 25.11.2023 26.11.2023 27.11.2023	सीताराम चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	रिछपाल सिंह गिला, अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर
10.11.2023 11.11.2023 12.11.2023 13.11.2023 14.11.2023 15.11.2023	रिछपाल सिंह गिला, अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	सीताराम चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

## पोकरण मुख्यालय हेतु-

दिनांक	न्यायालय का नाम	लिंक न्यायालय का नाम
05.11.2023 13.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 19.11.2023	डॉ० अजय कुमार विश्वाई, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	किशन सिंह सांदू, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकडा, मुख्यालय पोकरण
10.11.2023 11.11.2023 12.11.2023 25.11.2023 26.11.2023 27.11.2023	किशन सिंह सांदू, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकडा, मुख्यालय पोकरण	डॉ० अजय कुमार विश्वाई, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

## नोट :-

1. माह नवम्बर, 2023 के अन्य अवकाशों के दिन में आवश्यक मामलों में उचित आदेश संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक अधिकारी अथवा निकट के किसी न्यायिक अधिकारी के आवास से प्राप्त किए जा सकेंगे।
2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारीगण के पास वीडियो कान्फ्रेंसिंग से भी रिमाण्ड दिये जाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा जो संबंधित न्यायिक अधिकारी के विवेकाधीन होगा और यह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय / माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर द्वारा इस संबंध में पारित आगामी आदेशों के अधीन रहेगा।

3. मुख्यालय पर अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः 11.00 एएम से 2.00 पीएम बजे तक रहेगा।
4. उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई अवकाश घोषित हो जाने पर **जैसलमेर** जिला मुख्यालय के लिये घोषित अवकाश के दिन **अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर** उक्त कार्य देखेंगे। इसी प्रकार **पोकरण** मुख्यालय के लिये घोषित अवकाश के दिन **न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सांकड़ा** उक्त कार्य देखेंगे। इसके लिये कोई पृथक आदेश नहीं पारित किया जावेगा, संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी इसका विशेष ध्यान रखें। जिस अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी नियत की गई है, वह जिस मुख्यालय पर पदस्थापित है, वहीं रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित करेंगे।
5. पीठासीन अधिकारी के नियत रिमाण्ड दिवस पर मुख्यालय से बाहर रहने अथवा अवकाश पर रहने की अवस्था में वे अपने लिंक अधिकारी को सूचित करते हुए उनके स्थान पर लिंक अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की सहमति प्राप्त कर उसका प्रार्थना पत्र में अंकन करते हुए सूचना इस कार्यालय को भिजवाएंगे, जो श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर के आदेश के अध्यक्षीन रहेगा।
6. विशेष परिस्थितियों में मुल्जिम को निवास पर पेश करते समय निवास स्थान में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे तथा संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही करें।
7. तारांकित (\*) अवकाश यदि कोई हो, तो उसके परिवर्तित होने की स्थिति में अधिकृत अधिकारी ही परिवर्तित अवकाश की तिथि को रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।


  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जैसलमेर

क्रमांक: 427(mail)

दिनांक: 02/11/2023

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर।
2. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।
3. जिला आबकारी अधिकारी, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि जिले में कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/प्रभारी अधिकारी आबकारी थाना को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।
4. डॉ श्री अजय विश्वाई, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।
5. श्री सीताराम चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
6. श्री रिछपालसिंह, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
7. श्री किशन सांदू, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय पोकरण।
8. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।
9. न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
10. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
11. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय पोकरण।
12. सहायक निदेशक अभियोजन, जैसलमेर।
13. पुलिस कंट्रोल रूम, जैसलमेर।
14. अध्यक्ष अभिभाषक परिषद, जैसलमेर।
15. उपकारागृह, जैसलमेर।
16. प्रभारी अधिकारी वायरलेस, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि इस मैसेज को सभी आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।
17. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
18. कार्यालय प्रति।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जैसलमेर